

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./20 /

दिनांक:- / /20

प्रेषित:

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ


महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री गोपालाख पिता

रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा के राजस्व ग्राम रोलाहेडा में जमावन्दी संवत् 2078-81

की खाता संख्या 403 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम गुवारिया किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम गुवारिया को अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से सर्वाधिक जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/20²⁵/ 851

दिनांक: 17/10/20²⁵

निमित्त

पटवार हल्का रोलाहेडा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने थावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री पिता

राजस्व ग्राम रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 403

जाति/नाम गुवार दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के रूप में रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री पिता

जाति/नाम गुवारिया एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 135 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिपोर्ट उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

1. प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ